रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2003/27 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 18 जुलाई, 2003

संख्या: वि0 स0 लैज0–गवरनमैंट बिल/1–73/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2003 (2003 का

1562–राजपत्र/2003–18–7–2003––1,390. मूल्य : एक रुपया।

विधेयक संख्यांक–10) जो आज दिनांक 18 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2003 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तों का विनियमन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह प्रथम जुलाई, 1996 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "न्यायिक अधिकारियों" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में हिमाचल प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा और हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(ख) "अधिसूचना" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; और

(च) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

वेतन।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 और 235 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अधीन न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान को विनियमित करने वाले किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान, राज्य में न्यायिक अधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तुरन्त पश्चात् संदत्त किए जाऐंगे ।

नियम बनाने की शक्ति।

4. (1) धारा 3 के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

व्यावृत्ति।

5. धारा 3 के उपबन्धों के अध्यधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व न्यायिक अधिकारियों को लागू नियम, न्यायिक अधिकारियों के वेतन तथा सेवा की शर्तों को तब तक विनियमित करते रहेंगे जब तक कि इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन नियम बना नहीं दिए जाते ।

अनुसूची
(धारा 3 देखें)

न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए वेतनमान :

1. सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)

(क) प्रारम्भिक वेतनमान :
9000–250–10750–300–13150–350–14550 रुपये।

(ख) 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान:
10750–300–13150–350–14900 रुपये।

(ग) प्रथम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान :
12850–300–13150–350–15950–400–17550 रुपये।

2. सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)

(क) प्रारम्भिक वेतनमान :
12850–300–13150–350–15950–400–17550 रुपये।

(ख) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के रूप में 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान :
14200–350–15950–400–18350 रुपये।

(ग) प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान में 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान :
16750–400–19150–450–20500 रुपये।

3. जिला न्यायाधीश संवर्ग

(क) प्रारम्भिक वेतनमान :
16750–400–19150–450–20500 रुपये।

(ख) चयन ग्रेड (काडर के 25 प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध) :
18750–400–19150–450–21850–500–22850 रुपये।

(ग) सुपर टाईम वेतनमान : (काडर के 10 प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध):
22850–500–24850 रुपये।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय उच्चतम न्यायालय के, वित्तीय विवक्षाएं रखने वाली उपलब्धियों के पुनरीक्षण तथा अन्य प्रसुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए, तारीख 21–3–2002 और 25–11–2002 के निदेशों को राज्य की संवैधानिक शक्तियों पर अतिक्रमण समझा गया था। राज्य की वित्तीय स्थिति और उपरोक्त कथित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा में तारीख 26–3–2003 को एक संकल्प पारित किया गया था कि राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 21–3–2002 और 25–11–2002 के निर्णय को प्रभावी नहीं करेगी।

हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मुख्य सचिव और महाधिवक्ता भारत के उच्चतम न्यायालय में 9–5–2003 को समन किए गए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा उठाई गई वित्तीय कठिनाइयों और संवैधानिक स्थिति का विवेचन नहीं किया। सभी राज्यों को शेट्टी वेतन आयोग द्वारा यथा सिफारिश किए गए बढ़े हुए वेतनमानों को दो मास की अवधि के भीतर जारी करने के निदेश दिए गए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के बारम्बार निदेशों के परिणामस्वरूप बहुत से राज्यों ने पहले ही बढ़े हुए वेतनमान जारी कर दिए हैं। विशिष्टतः पंजाब ने भी यह वेतनमान जारी कर दिए हैं। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार वेतनमानों की बाबत शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित (लागू) करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार समरूप वेतनमान विधेयक में सम्मिलित कर दिए गए हैं।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
तारीख.....जुलाई, 2003

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 हिमाचल प्रदेश राज्य के न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित प्रसुविधाओं का संदाय प्रस्तावित करता है जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय विवक्षाएं निम्न प्रकार से है :–

1.	आवर्ती व्यय (लगभग)	:	3,10,000/– रुपये प्रतिमास और 37,00,000/– रुपये प्रतिवर्ष
2.	अनावर्ती व्यय (लगभग)	:	2.60 करोड़ रुपये।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4 अधिनियमित होने पर राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य प्रकृति का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या : गृह–बी(ई)3–1/90–खण्ड–9]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2003 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तों का विनियमन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

जे. एल. गुप्ता,
सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख .....जुलाई, 2003.

Bill No. 10 of 2003

THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 2003

(As Passed By the Legislative Assembly)

A

BILL

to provide for the regulation of the pay and conditions of service of the Judicial Officers in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on First day of July, 1996.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires ,–

(*a*) *"Judicial Officers"* means the persons appointed by the State Government to the Himachal Pradesh Higher Judicial Service and the Himachal Pradesh Judicial Service in the State ;

(*b*) *"notification"* means a notification published in the Rajpatra, Himachal Pradesh ;

(*c*) *"prescribed"* means prescribed by the rules made under this Act ;

(*d*) *"SCHEDULE"* means Schedule appended to this Act;

(*e*) *"State"* means State of Himachal Pradesh ; and

(*f*) *"State Government"* means the Government of Himachal

Salaries.

3. Notwithstanding anything contained in any rules regulating the scale of pay to the Judicial Officers made under article 309 read with articles 234 and 235 of the Constitution of India, there shall be paid, immediately after coming into force of this Act, to the Judicial Officers in the State, the pay scales as specified in SCHEDULE.

Power to make rules.

4. (1) Subject to the provisions of section 3, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules regulating the pay and conditions of service of the Judicial Officers.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that rule.

Saving.

5. Subject to the provisions of section 3, the rules applicable to the Judicial Officers, immediately before the commencement of this Act shall continue to regulate the pay and conditions of service of the Judicial Officers until the rules in that behalf are made under this Act.

SCHEDULE

(*See* section 3)

The Pay Scales for different cadres of the Judicial Officers :

1. **Civil Judge (Junior Division) :**

(*a*) **Initial Scale :** Rs. 9000-250-10750-300-13150-350-14550.

(*b*) **First stage Assured Career Progression Scale after five years of service :**

Rs. 10750-300-13150-350-14900.

(*c*) **Second stage Assured Career Progression Scale, after five years of service in the First Assured Career Progression Scale :**

Rs. 12850-300-13150-350-15950-400-17550.

2. **Civil Judge (Senior Division) :**

(*a*) **Initial Scale :** Rs. 12850-300-13150-350-15950-400-17550.

(*b*) **First stage Assured Career Progression Scale, after five years of service as Civil Judge (Senior Division) :** Rs. 14200-350-15950-400-18350.

(*c*) **Second stage Assured Career Progression Scale on completion of five years of service in the First stage Assured Career Progression Scale :** Rs. 16750-400-19150-450-20500.

3. **District Judges Cadre :**

(*a*) **Initial Scale :** Rs. 16750-400-19150-450-20500.

(*b*) **Selection Grade :** (Available to 25% Officers of the Cadre) : Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850.

(*c*) **Super Time Scale :** (Available to 10% Officers of the Cadre) : Rs. 22850-500-24850.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The directions of the Hon'ble Supreme Court dated 21-3-2002 and 25-11-2002 on the revision of emoluments and providing other facilities having financial implications were considered an encroachment on the constitutional powers of the State. In view of the financial position of the State and the constitutional position stated above, a resolution was passed in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha on 26-3-2003 that the State Government should not give effect to the judgement of the Hon'ble Supreme Court dated 21-3-2002 and 25-11-2002.

The Chief Secretary and the Advocate General of Himachal Pradesh along with those of other States were summoned in the Hon'ble Supreme Court of India on 9-5-2003. The Hon'ble Supreme Court did not appreciate the financial difficulties voiced by the various States and the Constitutional position. All the States were directed to release the enhanced pay scales as recommended by the Shetty Pay Commission within a period of two months. As a consequence of repeated directions from the Hon'ble Supreme Court, many States have already released enhanced pay scales. In particular, Punjab has also released these scales. In view of the changed position, it has been decided to implement the recommendation of the Shetty Pay Commission regarding pay scales in line with majority of the States. Accordingly, the same pay scales are incorporated in the Bill.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
CHIEF MINISTER.

SHIMLA :
The.....2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill proposes to pay revised emoluments to the Judicial Officers in the State of Himachal Pradesh for which additional financial implications are as under :—

1.	Recurring expenditure (approximate)	:	Rs. 3,10,000/- per month and Rs. 37,00,000/- per annum.
2.	Non-recurring expenditure (approximate)	:	Rs. 2.60 crores.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill, when enacted will empower the State Government to make rules regulating the pay and conditions of service of the Judicial Officers in the State of Himachal Pradesh. The delegation is essential and normal in character.'

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. Home-B(E)-3-1/90-Vol. IX]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Bill, 2003, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 2003

A

BILL

to provide for the regulation of the pay and conditions of service of the Judicial Officers in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

VIRBHADRA SINGH,
CHIEF MINISTER.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The.....June, 2003.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित